भारत – अभ्रक - बाल श्रम

रिपोर्टें हैं कि भारत में 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे परित्यक्त खदानों से अभ्रक एकत्र करने के काम में लगे हुए हैं, मुख्यतः अवैध खदान कार्यवाहियों में। अभ्रक का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों बिहार, झारखंड, और राजस्थान में बच्चे, अक्सर स्कूल जाने के बदले, मुख्यतः उत्खनन करते पाए जाते हैं। ग़ैर-सरकारी संगठनों तथा मीडिया के सूत्रों ने इन राज्यों में अभ्रक के कामों में लगे सैकड़ों बच्चों का प्रलेखीकरण किया है। बताया जाता है कि बच्चों के काम में खनिज निकालने के लिए चट्टानों को तोड़कर अलग करना, चट्टानों की खेपें ढ़ो कर ले जाना, और खोदे गए अन्य खनिजों में से अभ्रक को छांटना और अलग करना शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों और साक्षात्कारों के अनुसार, अभ्रक की धूल सांस के साथ अंदर चले जाने से बच्चों में श्वास संबंधी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। ख़बर है कि बच्चों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी अन्य जोखिम भी भुगतने पड़ते हैं, जिसके परिणाम में बिच्छू के काटने तथा हड्डियां टूट जाने जैसी क्षति, और कुछ मामलों में तो, नियमन-विहीन और घटिया रख-रखाव वाले खान-कूपों में, उनकी मौत तक हो जाती है।